हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

दशम् सत्र

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015/9 अग्रहायण,1937 (शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **शोकोद्‌गार:**

श्री लज्जा राम, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार।

2. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

3. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, सोमवार 30 नवम्बर, 2015 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

4. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 24);
2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 25);

3. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 26);
4. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 27);
5. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 28);
6. हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 29); और
7. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 30) ।

5. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री कर्ण सिंह, सहकारिता मन्त्री, हिमाचल प्रदेश कोऑप्रेटिव सोसाइटीज (संशोधन) नियम, 2015 की धारा 109 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कोऑप्रेटिव सोसाइटीज (संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: कोप-ए(3)-1/99 भाग-5 दिनांक 5.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 7.10.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

6. अध्यादेश:

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 06.11.2015 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, प्रस्ताव करेंगे कि:

" सरकार की वर्तमान पर्यावरण नीति पर यह सदन विचार करे।"

धर्मशाला-176215 — **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 28 नवम्बर, 2015 — **सचिव ।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)